नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज संघ

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 66/NCRES/71/84/23 Date : 22.3.2023

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय : केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज में नियमित नेत्र चिकित्सक की नियुक्ति किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि लम्बे समय से केन्द्रीय चिकित्सालय में कोई स्थाई नेत्र चिकित्सक की नियुक्ति न हो पाने के कारण कान्ट्रैक्ट बेसिस पर डा0 शिखा यादव एवं डा0 ए. के. दत्ता को नियुक्त किया गया है, जिनका शिड्यूल निम्न है –

(1) डा0 शिखा यादव, OPD - मंगलवार, वृहस्पतिवार, शनिवार, 9 AM to 11 AM – 15 टोकन
OT - शुक्रवार

(2) डा0 ए. के. दत्ता, OPD - मंगलवार, 11AM to 01 PM – 15 टोकन

उपरोक्त नेत्र चिकित्सको को दिखाने हेतु कर्मचारियों को टोकन लेने के लिये सुबह चार बजे से लाइन लगाना पड़ता है तब वह 1 से 15 नम्बर तक का टोकन प्राप्त कर पाता है, और जिन कर्मचारियों को टोकन नही मिल पाता, उन्हें इन्हीं दोनो चिकित्सको में से किसी एक को उनके प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना पैसा खर्च कर इलाज कराना पड़ता है।

जो कर्मचारी टोकन प्राप्त कर उपरोक्त में से किसी डाक्टर को दिखा भी लेते है तो उन्हें नार्मल एवं एल.पी. दवायें किसी अन्य/डाक्टर से लिखवानी पड़ती है, ऐसी स्थिति में उन्हें बार–बार लाइन लगाना पड़ता है।

कर्मचारियों ने NCRES को यह भी बताया है कि (डाक्टर के कथनानुसार) आँख के आपरेशन हेतु जरूरी उच्च क्वालिटी के उपकरण रेलवे अस्पताल में उपलब्ध नही है जिसके कारण ज्यादातर मरीज रेलवे अस्पताल में आपरेशन न करा कर उपरोक्त डाक्टरो के प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना पैसा खर्च कर आपरेशन कराने को मजबूर है। इसके अतिरिक्त मोतियाबिन्द आपरेशन कराने वालो की लम्बी सूची होने के कारण रेलवे अस्पताल में आपरेशन कराने हेतु उनका महीनो नम्बर भी नही आता है।

अतः NCRES की मांग है कि :—

(1) केन्द्रीय चिकित्सालय में स्थायी नेत्र चिकित्सक पदस्थापित किया जाय एवं जब तक यह व्यवस्था नही होती, कान्ट्रैक्ट पर सप्ताह के हर दिन फुल टाइम नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था की जाय, साथ ही नेत्र चिकित्सा हेतु उच्च क्वालिटी के उपकरण/लेन्स के साथ फील्ड एवं पर्दे की जांच की व्यवस्था भी की जाय।

(2) मोतियाबिन्द का आपरेशन कराने वाले मरीजो की संख्या अधिक होने पर प्राइवेट चिकित्सालय के प्रतिष्ठित डाक्टर से आपरेशन कराने के लिये उन्हें रेफर किया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :— प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज